

महालेखाकार (ले. प. I) का कार्यालय,
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



Office of the Accountant General (Audit I)
Kerala Thiruvananthapuram-695 001

सं.प्रशा.(ले.प.)/III/MACPS/Vol.XII

दिनांक :14-07-2026

अनुभागीय आदेश सं 117/SECTIONAL ORDER No. 117

केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना के अंतर्गत सुश्री लिजा वर्गीस वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी को दिनांक **01.12.2025** से निम्नानुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to **Ms.Lija Varghese, Sr.Audit Officer** as detailed below with effect from **01-12-2025**.

वर्तमान स्तर Existing Level	नया स्तर New Level	पात्रता की तिथि Date of Eligibility	उन्नयन की स्थिति Status of Upgradation
Level 10	Level 11	01.12.2025	2 nd MACP

एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के समय पदोन्नति पर मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुमेय होगा। यदि वे मूल नियम एफ.आर. 22(I)(a)(1) के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर लिखित रूप में अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर कर्मचारी के पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और अन्य कतिपय लाभ जो कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से संबंधित हैं, जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास का आवंटन आदि, अनुमत होंगे।

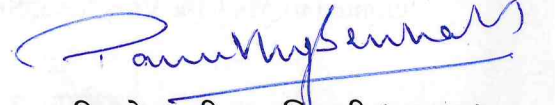
एमएसीपी योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत होगा तथा इसका उनकी वरिष्ठता की स्थिति से कोई संबंध नहीं होगा। इस योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त करता है, तो उसके आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को बढ़ाकर बराबर करने का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If he intends to exercise option under FR 22(I)(a)(1), she should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(महालेखाकार के दिनांक 13.07.2026 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 13.07.2026 of Accountant General)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि/Copy to:

1. एस.ओ. पुस्तिका / SO Book
2. सुश्री लीजा वर्गहीस, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / Ms.Lija Varghese, Sr.AO
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (बिल्स/रोकड़ /हकदारी) लेखापरीक्षा-I / Sr.AO/(Bills/Cash/Entt) Au-I
4. का स्था (बिल्स/रोकड़/हकदारी)लेखापरीक्षा-I /OE (Bills/Cash/Entt) Au-I
5. पी ए ओ I, II, III /PAO I, II, III
6. गो कक्ष /हिन्दी कक्ष/आईए अनुभाग - लेखापरीक्षा-I / C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au I
7. सेवा संघ / Service Associations
8. सूचना पट्ट / Notice Board
9. व्यक्तिगत फाइल / Personal File